


बिहार सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग

—:कार्यालय आदेश:—

संचिका सं०— 10/अंशा०/जी०एस०टी०—16/2025 533 पटना, दिनांक:— 11/02/26

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम—12, 2017) (एतश्मिन पश्चात् "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 04 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 65 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कर आयुक्त निम्न तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित को वित्तीय वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 की बावत स्तम्भ (4) में उल्लेखित प्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अधिनियम के धारा 65 के अधीन शक्तियाँ प्रदान करते हैं:—

क्रम सं०	टीम न०	प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रमंडलीय क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	टीम न०—2	श्री सुजीत कुमार, राज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो	केन्द्रीय प्रमंडल
2	टीम न०—2	श्री अरुण कुमार चौधरी, राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल—1	दरभंगा प्रमंडल

  
(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 10/अंशा०/जी०एस०टी०—16/2025 533 पटना, दिनांक:— 11/02/26

प्रतिलिपि— राज्य कर अपर आयुक्त(प्रशासन/अपील/अंकेक्षण) केन्द्रीय प्रमंडल एवं दरभंगा प्रमंडल तथा संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

  
(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 10/अंशा०/जी०एस०टी०—16/2025 533 पटना, दिनांक:— 11/02/26

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(संजय कुमार सिंह)

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव,  
बिहार, पटना।